न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 21.12.2025

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 272 / 2025
दायरा दिनांकः 04.10.2025
जीसीएमएस संख्या– 2025 / 467

1. विमला कंवर पत्नी सुमेरसिंह जाति राजपूत निवासी आबसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

................प्रार्थिनी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

निर्णय दिनांकः21.12.2025

–:निर्णयः–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़, जिला चूरू

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि रोही आबसर तहसील सुजानगढ़ के खाता संख्या 38 प्रार्थीनी के संयुक्त खातेदारी में दर्ज स्थित है। प्रार्थिनी का नाम उपर्युक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में बिमला कंवर अंकित है। जबकि प्रार्थिनी का सही व वास्तविक नाम विमला कंवर है। अन्य पहचान दस्तावेजों में भी प्रार्थिनी का सही नाम विमला कंवर ही दर्ज है।

प्रार्थिनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थिनी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थिनी की खातेदारी भूमि में प्रार्थिनी का नाम दुरस्त करवाना प्रार्थिनी के लिए आवश्यक है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में बिमला कंवर है जबकि अन्य दस्तावेजों में नाम विमला कंवर है। तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा प्रार्थिनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में बिमला कंवर के स्थान पर विमला कंवर किये जाने की अभिशंषा की जाती है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जन आधार कार्ड, आधार कार्ड व परिवार राशन कार्ड आदि में भी प्रार्थिनी का नाम विमला कंवर अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

—:आदेश:—

प्रार्थिनी का प्रार्थना—पत्र राष्ट्रीय लोक अदालत में स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि वाके रोही ग्राम आबसर के खाता संख्या 38 में दर्ज खातेदार का नाम बिमला कंवर के स्थान पर विमला कंवर दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2025 को टंकित राष्ट्रीय लोक अदालत में करवाया जाकर में सुनाया गया।

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़, जिला-चूरु